

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.8 (1) बोनस/आई.आर./श्रम/परिपत्र/03/34010 जयपुर, दिनांक 18/10/2024

परिपत्र

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 माह के भीतर देय बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

अतः विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में स्थित औद्योगिक संस्थानों की श्रम स्थिति पर नजर रखी जावे तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राजीव किशोर सक्सेना)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.8 (1) बोनस/आई.आर./श्रम/परिपत्र/03/34014 जयपुर, दिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त (समस्त)
2. श्रम कल्याण अधिकारी(समस्त)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.)
राजस्थान, जयपुर।